



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),  
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)  
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

PM/VI/2015-16/OG-GO/

.01 .2016

To  
The Director of Treasuries and Accounts  
Telangana  
4<sup>th</sup> Floor Rajaram Building  
Tilak Road Abids  
HYDERABAD  
Sir,

Sub: Grant of DR @ 119% from 1.7.15, on revised to Uttarakhand pensioners whose pension is revised and 234% to those who are drawing pension in unrevised scales.

Ref:1. No Fin (GR-P.C.) Section-7 No./xxvii(7)/02/2010 dt 30.10.2015  
from the Government of Uttarakhand  
2. PA/Pen/DR/UK/2015-16/2952 dt 18.11.2015 from the  
Principal Accountant General, (A&E) Uttarakhand.

\*\*\*

I am to enclose herewith copy of Govt. orders issued by the Uttarakhand Government and received under Special Seal Authority from the Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office ([www.ag.ap.nic.in](http://www.ag.ap.nic.in)). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

*[Signature]*

Sr. Accounts Officer

Copy to  
The Joint Director  
Pension Payment Office  
MJk Road, Nampally  
HYDERABAD

for information and necessary action.

*[Signature]*

Sr. Accounts Officer

*[Signature]*  
14/1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), उत्तराखंड, देहरादून  
(ओबराय मोटर्स,सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न. 0135.2644967, फैक्स. न. 0135.2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

पत्रांक: पी. ए/पेंशन/राहत/उत्तराखंड/2015-16/ 2952

सेवा में

404430  
8/11/16

600035831  
26/12/15

दिनांक: 18/11/2015

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

वसुधा वा. मा. १९९२ - ९९२०१९ - ५००००४

विषय: उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकृत 01.07.2015 से बढ़े महंगाई राहत के शासनादेश के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तराखंड साशन के शासनादेश संख्या: 211/XXVII(7)02/ 2010 दिनांक 30.10.2015 (दिनांक 01.07.2015 से 119% एवं 234%) को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागार को भिजवाने की व्यवस्था करे, ताकि आपके राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखंड राज्य के सभी पेंशनरो को दिनांक 01.07.2015 से बढे महगाई राहत का लाभ मिल सके ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार(2)

[illegible]

भवदीय,

लेखाधिकारी / पेंशन

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनुभाग-7  
संख्या- / XXVII(7)02/2010  
देहरादून: दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R-P.C.) Section-7  
No /XXVII(7)02/2010  
Dehradun: Dated: 30 October., 2015

**Office-Memorandum**

विषय: राज्य सरकार के पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Revised/Pre revised Civil/Family Pensioners.

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-91/XXVII(7)02/2010, दिनांक 08 जून, 2015 द्वारा पुनरीक्षित पेंशन पर 113 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित पेंशन पर 223 प्रतिशत की पूर्व दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2015 से पुनरीक्षित पेंशन पर 119 प्रतिशत एवं अपुनरीक्षित पेंशन पर 234 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The undersigned is directed to say that to compensate the rise in Consumer Price Index the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates for pensioners w.e.f 01-07-2015@119% for revised pension and 234% for unrevised pension superseding the earlier rates of 113% for revised pension and 223% for unrevised pension as were sanctioned vide this Office Memorandum No. 91/XXVII(7)02/2010 Dated 08-06-2015.

2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रुपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to next higher rupee.

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the State Government.

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in Om No-A-1-252/Ten/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(डा0 एम0सी0 जोशी)  
सचिव।

(Dr. M.C. Joshi)  
Secretary.


*Sekhar*



संख्या-२११ / XXVII(7)02 / 2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
  
(दीपक कुमार)  
अनु सचिव।

NO.२११ / XXVII(7)02/2010, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Additional Chief Secy./All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 2- Additional Chief Secy./Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of Dearness Relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 4- All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- Director, Treasury and Finance services Uttarakhand.
- 7- Director, Account and Hukdari, 23 Laxmi road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 8- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
- 10- Director, NIC Dehradun.

By Order,  
  
(Deepak Kumar)  
Under Secretary.